रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19032025-261710
CG-DL-E-19032025-261710

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1225] नई दिल्ली, मंगलवार , मार्च 18, 2025/फाल्गुन 27, 1946
No. 1225] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 18, 2025/PHALGUNA 27, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 मार्च, 2025

का.आ. 1238(अ).— केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभयारण्य, राजस्थान के आसपास एक पारिस्तिथिकी संवेदी जोन घोषित करने के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1173(अ) द्वारा, तारीख 13 अप्रैल, 2017 को एक अधिसूचना जारी की थी;

और केंद्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना का संशोधन करना लोकहित में आवश्यक और समीचीन है;

और पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 का उप-नियम (4) यह उपबंध करता है कि जब भी केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोकहित में है, तो इसके लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति दी जा सकती है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1173(अ) द्वारा, तारीख 13 अप्रैल, 2017 में संशोधन करने के लिए पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की अपेक्षा से अभिमुक्ति देना लोकहित में है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) एवं उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में संख्यांक का.आ. 1173(अ) द्वारा, तारीख 13 अप्रैल, 2017 को प्रकाशित अधिसूचना, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 और 6 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा रखे जाएंगे, अर्थात्:-

"**5. निगरानी समिति.** – केंद्रीय सरकार उपबंधों की प्रभावी निगरानी के लिए एक निगरानी समिति का गठन करेगी, जो निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्- :

(i)	जिला कलेक्टर, राजसमंद या पाली	अध्यक्ष -, पदेन;
(ii)	निम्नलिखित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारीलोक निर्माण विभाग :, खनन, सिंचाई, पर्यटन, पुलिस, नगर परिषद, उद्योग, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया	सदस्य -, पदेन;
(iii)	क्षेत्रीय अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के	सदस्य -, पदेन;
(iv)	माननीय वन संरक्षक राजसमंद	सदस्य -, पदेन;
(v)	पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जिसे आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक तीन वर्ष में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य -;
(vi)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी और पर्यावरण के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ जिसे आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा हर तीन साल में समयसमय - पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।	सदस्य -;
(vii)	उपखण्ड अधिकारी, राजसमंद अथवा पाली	सदस्य -, पदेन;
(viii)	खंड विकास अधिकारी, राजसमंद या पाली	सदस्य -, पदेन;
(ix)	उप वन संरक्षक ,पाली या राजसमंद या अजमेर	सदस्य -, पदेन;
(x)	उप वन संरक्षक(वन्यजीवन)	-सदस्य -सचिव, पदेन।

6. निगरानी समिति के कार्य.-(1) निगरानी समिति, स्थल विशिष्ट परिस्थितियों के आधार पर उन क्रियाकलापों की जाँच करेगी जो कि भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितंबर, 2006, की अधिसूचना

संख्या का.आ. 1533(अ), की अनुसूची में शामिल हैं और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आती हों, उसके पैरा 4 के अधीन दी गई सारणी में यथा विनिर्दिष्ट निषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय अनापत्ति के लिए भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय या राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण के पास भेजे गए हैं ।

(2) ऐसे क्रियाकलापों, जो उप-पैरा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना की अनुसूची में शामिल नहीं है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर आते हैं, इसके पैरा 4 की सारणी में प्रतिबंधित क्रियाकलापों को छोड़कर, की जाँच निगरानी समिति द्वारा स्थल विशिष्ट वास्तविक परिस्थितियों के आधार पर की जायेगी और इन्हें विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

(3) निगरानी समिति के सदस्य सचिव या कलेक्टर या उप वन संरक्षक इस अधिसूचना के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होंगे।

(4) निगरानी समिति मामले-दर-मामले के आधार पर आवश्यकताओं के अनुसार अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए संबंधित विभाग के प्रतिनिधि या विशेषज्ञ, उद्योग संघों के प्रतिनिधि या संबंधित हितधारकों को आमंत्रित कर सकेगी।

(5) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि की अपनी गतिविधियों की वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट उस वर्ष के 30 जून तक राज्य के मुख्य वन्यजीव प्रबंधक को उपाबंध-V में निर्दिष्ट प्रो-फार्मा में प्रस्तुत करेगी।

(6) केंद्रीय सरकार अपने कार्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए निगरानी समिति को लिखित रूप में ऐसे निर्देश दे सकती है, जैसा वह उचित समझे।"

[फा.सं.25/53/2015-ईएसजेड-आरई]
डॉ. सु. केरकेट्टा, वैज्ञानिक ''जी''

टिप्पण.- मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप खंड (ii) में तारीख 13 अप्रैल, 2017 को विस्तृत का.आ. 1173(अ) द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th March, 2025

S.O. 1238(E).— WHEREAS the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, issued a notification to declare an Eco-Sensitive Zone around Todgarh Raoli Wildlife Sanctuary, Rajasthan in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1173(E), dated the 13th April, 2017;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest to amend the said notification;

AND WHEREAS sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that whenever it appears to the Central Government that it is in the public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986;

AND WHEREAS the Central Government is of the opinion that it is in the public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986 for amending the notification number S.O. 1173(E), dated the 13th April, 2017;

NOW, THEREFORE in exercise of the powers conferred by sub-section (1), clauses (v) and (xiv) of sub-section (2), and sub-section(3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 1173(E), dated the 13th April, 2017, namely:-

In the said notification, for paragraphs 5 and 6, the following paragraphs shall be substituted, namely: -

"5. **Monitoring Committee**. - The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the provisions of this notification consisting of the following persons, namely: -

i.	District Collector, Rajasamand and Pali	Chairman, *ex officio*;
ii.	District level officers of the following departments: Public Work Department, Mining, Irrigation, Tourism, Police, Municipal Council, Industry, Unit Trust of India	Member, *ex officio*;
iii.	Regional Officer, of the State Pollution Control Board	Member, *ex officio*;
iv.	Hon'ble Wildlife Warden Rajasamand	Member, *ex officio*;
v.	One representative of Non-Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Rajasthan for a period of three years	Member;
vi.	One expert in the area of ecology and environment from a reputed institution or university to be nominated by the Government of Rajasthan for a period of three years.	Member;
vii.	Sub-Divisional Officer, Rajasamand or Pali	Member, *ex officio*;
viii.	Block Development Officer, Rajasamand or Pali	Member, *ex officio*;
ix.	Deputy Conservator of Forest, Pali or Rajasamand or Ajmer	Member, *ex officio*;
x.	Deputy Conservator of Forest (Wildlife), Rajasamand	Member-Secretary, *ex officio*.

6. **Functions of Monitoring Committee.** – (1) The Monitoring Committee shall, based on the actual site-specific conditions scrutinise, the activities covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest, *vide* number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change or the State Environment Impact Assessment Authority, as the case may be, for prior environmental clearances under the provisions of that notification.

(2) The activities not covered in the Schedule to the notification referred to in sub-paragraph (1) and falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the

Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the regulatory authorities concerned.

(3) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the Collector or the Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaint under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(4) The Monitoring Committee may invite a representative or expert from the Department, a representative from the industry associations or stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on a case to case basis.

(5) The Monitoring Committee shall submit the action taken report of its activities annually for the period up to the 31st March of every year to the Chief Wildlife Warden by the 30th June of that year in pro forma specified in Annexure-V.

(6) The Central Government may give such directions in writing, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.''

[F. No. 25/53/2015-ESZ-RE]

Dr. S. KERKETTA, Scientist "G"

Note. - The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1173(E), dated the 13th April, 2017.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA Date: 2025.03.19 16:07:52 +05'30'